



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/318

17/07/2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

विषय: शिपमेंट-पूर्व और शिपमेंट-पश्चात ऋण पर बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरों पर सदस्यों से सुझाव आमंत्रित

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि वाणिज्य विभाग शिपमेंट-पूर्व और शिपमेंट-पश्चात ऋण पर बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरों के संबंध में सदस्यों से सुझाव मांग रहा है।

यदि आप नीचे दिए गए संरचित प्रारूप में अपनी प्रस्तुतियाँ भेज सकें तो हमें खुशी होगी:

कंपनी का नाम	संपर्क व्यक्ति नाम/मोबाइल/ईमेल	मध्यम/लघु/सूक्ष्म उद्योग	एडी बैंक का विवरण	शाखा एडी बैंक	प्रीशिपमेंट क्रेडिट पर लगाया गया ब्याज	शिपमेंट के बाद क्रेडिट पर लगाया जाने वाला ब्याज

आपकी प्रतिक्रिया सरकार को एमएसएमई के वित्तीय संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाने में सहायता करेगी।

यदि आपको किसी स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो, तो कृपया हमसे bharti@plexconcil.org पर संपर्क करें।

सादर

भारती पारवे
उप निदेशक - व्यापार एवं नीति
प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद